तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28.02.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06.03.2020 को पेश हो।
06.03.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी पर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.06.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष एक वाद अनवानी गुड्डीदेवी आदि बनाम शेरूराम प्रकरण संख्या 04/1915 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया गया था।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को प्रत्येक पेशी पर आनें की आवश्यक्ता नहीं होनें का कथन करनें पर प्रार्थीया आश्वस्त होकर पेशी पर नहीं आनें के कारण श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2019 को अदम पैरवी/अदम हाजरी खारिज कर दिया गया। प्रार्थीया औरतजात है, मामला अचल सम्पत्ति से सम्बंधित है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 गैर कानूनी मंशा में कामयाब हो जाता है, तो प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकेगी।

अतः श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 को निरस्त फरमाया जाकर वाद वादी अनवानी गुड्डीदेवी आदि बनाम शेरूराम आदि प्रकरण संख्या 04/2015 को पुनः बाजया नम्बर पर लिये जानें के आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि मूल वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि जरिये वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है, जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को शुरू से रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता शेरूराम की मृत्यु दिनांक 21.10.2015 को चुकि है जिसका प्रार्थीगण को शुरू से ही ज्ञान रहा है, लेकिन प्रार्थीगण नें कोई भी कार्यवाही नहीं की है, तथा प्रार्थीगण का वाद पत्र स्वतः ही अबैट हो चुका है प्रार्थीगण नें आज तक भी उक्त अबेटमेंट को निरस्त करवानें की कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की समायत बहस पर मनन किया गया दौरानें बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मूल पत्रावली संख्या 04/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. अनवानी गुड्डीदेवी आदि बनाम शेरूराम में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 को अपास्त कर जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर पुनः नये नम्बर पर दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है। तथा इसके साथ ही मूल वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 02/2014 के सन्दर्भ में दायरा रजिस्टर का अवलोकन करनें पर पाया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अनवानी गुड्डीदेवी आदि बनाम शेरूराम 02/2014 दर्ज ना होकर 02/2015 पर दर्ज है जिसमें पारित निर्णय दिनांक 07.06.2017 को भी जिला न्यायालय से प्राप्त की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

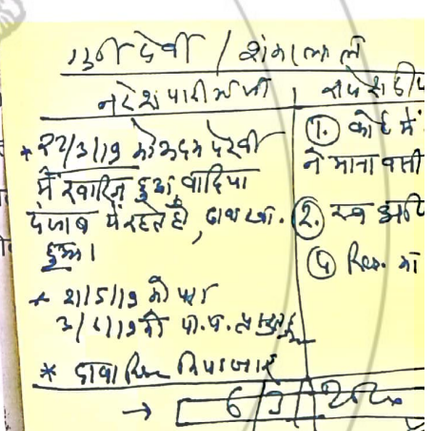

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर की जाकर जिला अभिलेखार से प्राप्त मूल वाद के साथ उक्त पत्रावली को संलग्न किया जावे। उक्त दोनों मूल पत्रावलीयां जिला अभिलेगार से प्राप्त करने हेतु पत्र जारी हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.03 00:26:21 IST
Reason: SelfAttested